

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा**

पीठासीन अधिकारी:-

अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :-

07/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :-

2022/09

वादीनी

बनाम

प्रतिवादी

मानकंवर पत्नि भवानीसिंह

जाति राजपूत निवासी सिणली

तहसील लूणी जिला जोधपुर

- |   |
|---|
| <p>1.भाग्यश्री पुत्री भवानीसिंह पत्नि<br/>अभीउदयसिंह जाति राजपूत<br/>निवासी गोविन्दगढ,आस्था होस्पिटल के<br/>पास,पावटा सी रोड़ जोधपुर</p> <p>2.डिम्पलकंवर पुत्री भवानीसिंह पत्नि<br/>कुलदीपसिंह जाति राजपूत<br/>निवासी बिजवाड़ीया तहसील तिवरी<br/>जिला जोधपुर</p> <p>3.महेन्द्रसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति<br/>राजपूत निवासी मकान नम्बर 10 सेक्टर<br/>डी शास्त्री नगर जोधपुर</p> <p>4.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार<br/>कल्याणपुर</p> |
|---|

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955****उपस्थिति**

- 1.श्री सत्यदेवसिंह चारण अधिवक्ता वादीनी
2. श्री भूपेन्द्र गहलोत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3. श्री देवीसिंह महेचा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 03
- 4.प्रतिवादी संख्या 4 अनुपस्थित।

**निर्णय**

दिनांक- 30/03/2026



संक्षिप्त में वाद-पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि सरहद मौजा देमो की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 1040/762 क्षेत्रफल 33.6536 हैक्टर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 10.2.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार कल्याणपुर को मौके पर जाकर वादग्रस्त भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार

सहायक कलक्टर  
(S.D.O.) बालोतरा

कल्याणपुर द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जो बाद सुनवाई विभाजन प्रस्ताव मुताबिक वाद डिक्री जारी की जानी उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा देमो की ढाणी तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 1040/762 क्षेत्रफल 33.6536 हैक्टर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

कं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	ख.सं.	क्षेत्रफल (हैक्ट.)	किस्म	लगान	बरंग
1	मानकंवर पत्नि भवानीसिंह हि.पूर्ण जाति राजपूत सा. सिणली तह.जोधपुर खातेदार	देमो की ढाणी	1040/762	8.4134	बा.अ.	11.34	नक्शे में दर्शितनुसार
2	डिम्पलकंवर पुत्री भवानीसिंह हि.पूर्ण जाति राजपूत सा. सिणली तह.जोधपुर खातेदार	देमो की ढाणी	1040/762	8.4134	बा.अ.	11.34	नक्शे में दर्शितनुसार
3	भाग्य श्री पुत्री भवानीसिंह हि.पूर्ण जाति राजपूत सा. सिणली तह.जोधपुर खातेदार	देमो की ढाणी	1040/762	8.4134	बा.अ.	11.34	नक्शे में दर्शितनुसार
4	महेन्द्रसिंह पुत्र भवानीसिंह हि.पूर्ण जाति राजपूत सा. सिणली तह.जोधपुर खातेदार	देमो की ढाणी	1040/762	8.4134	बा.अ.	11.34	नक्शे में दर्शितनुसार

तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामान्तकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामान्तकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करें, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करें।

(अशोक कुमार)  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 30/03/2026 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।



सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

मूलवाद में अंतिम डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 07/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2022/09

वादीनी

बनाम

प्रतिवादी

मानकंवर पत्नि भवानीसिंह  
जाति राजपूत निवासी सिणली  
तहसील लूणी जिला जोधपुर

1. भाग्यश्री पुत्री भवानीसिंह पत्नि  
अभीउदयसिंह जाति राजपूत  
निवासी गोविन्दगढ, आस्था होस्पिटल के  
पास, पावटा सी रोड़ जोधपुर
2. डिम्पलकंवर पुत्री भवानीसिंह पत्नि  
कुलदीपसिंह जाति राजपूत  
निवासी बिजवाड़ीया तहसील तिवरी  
जिला जोधपुर
3. महेन्द्रसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति  
राजपूत निवासी मकान नम्बर 10 सेक्टर  
डी शास्त्री नगर जोधपुर
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार  
कल्याणपुर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा:-53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर : 07/2022

निर्णय दिनांक :-30.3.2026

वादीनी की ओर से श्री सत्यदेवसिंह चारण अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री भूपेन्द्र गहलोत की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री देवीसिंह महेचा की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 4 एकतरफा, इस वाद में आज तारीख 30.3.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि:-**वादीनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 30.3.2026 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से घोषित की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेश दिए जाते हैं, कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 30.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(अशोक कुमार)  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

## वाद के खर्चे

वादीनी		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	-----
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस	-----	6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	-----	जोड़	-----



*Arul*  
30/03/2022  
सहायक कलक्टर  
(एस.डी.ओ.) बालोतरा